

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 मई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों हेतु द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रोंका०, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उगलब्ध कराये गये 04 विस्तृत आगणनों, जिनकी लम्बाई 11. 392 किमी० एवं लागत ₹ 1008.70 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1008.70 लाख (रु० दस करोड़ आठ लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु टेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप टेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) टेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औष्ठारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप, ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

240  
18-5-17

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्क निर्माण कार्य-03 राज्य सेंक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 70/XXVII(2)/2017 दिनांक 09 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)

संयुक्त सचिव

संख्या— / ॥(2)/ 17-65(एम०एल०ए०)/ 2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि० हत्त्वानी।
4. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
9. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(एस०एस० टोलिया)

संयुक्त सचिव

संख्या— 353 / 11(2) / 17-65(एम०एल०ए०) / 2017 दिनांक ।। मई, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०मे)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र—गदरपुर के गूलरभोज क्षेत्र में ढाई नम्बर आबादी क्षेत्र के आन्तरिक सी०सी० मार्गों एवं नाली का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.284	203.29	0.10
2	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र—गदरपुर के गूलरभोज क्षेत्र में नयी बस्ती आबादी क्षेत्र के आन्तरिक सी०सी० मार्गों एवं नाली का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	2.460	216.81	0.10
3	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र—गदरपुर के गूलरभोज क्षेत्र में ग्राम कोपा एवं कुल्हा के आन्तरिक सी०सी० मार्गों एवं नाली का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	5.107	455.64	0.10
4	जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र—गदरपुर के गूलरभोज क्षेत्र में ग्राम तिलपुरी नम्बर 1 के आन्तरिक सी०सी० मार्गों एवं नाली का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.541	132.96	0.10
कुल		11.392	1008.70	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(एस०एस० टोलिया)  
संयुक्त सचिव

आवंटन पत्र संख्या - 353/III(2)/17-65(M.L.A.)/2017

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1705220095

आवंटन पत्र दिनांक - 11-May-2017

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक	5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04 - जिला तथा अन्य सड़के
	337 - सड़क निर्माण कार्य	
	03 -	
	02 - नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित )	

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बहत निर्माण कार्य	0	40000	40000
	0	40000	40000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 40000



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
“नियोजन-” उत्तराखण्ड देहरादून



Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand  
Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: [eicpwd.uk@nic.in](mailto:eicpwd.uk@nic.in)

पत्रांक-

240 / 20 यातां का / 2016

दिनांक- 19.05.2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

1. Head (pp)  
2. Upto cell  
B/19/5/12

19/5/2017  
मुख्य प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड